क0सं0	प्रपत्र का विषय	पृष्ठ संख्या	संलग्न है/नहीं	संलग्न न होने का कारण
1	सक्षम अधिकारी/ऑन–लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी का प्रमाण–पत्र।	8	संलग्न है	
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–1, 2 तथा भाग–3	9-13	संलग्न है	
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	14-16-1	संलग्न है	
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	17	संलग्न है	
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report)	18	संलग्न है	
6	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अगल–अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	20	संलग्न है	
7	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिंग के साथ दर्शाया गया हो।	19	संलग्न है	
8	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	19-20	संलग्न है	
9	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	21	संलग्न है	
10	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	19-20	संलग्न है	
11	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	22-29	संलग्न है	
12	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	30	संलग्न है	
13	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	31-32	संलग्न है	
14	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	33	संलग्न है	
15	बार चार्ट।	34	संलग्न है	
16	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण–पत्र।	35	संलग्न है	
17	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	36-40	संलग्न है	
18	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्याँकन/सारांश।		संलग्न है	
19	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	41	संलग्न है	
20	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण–पत्र।	42		
21	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
22	न्यनूतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	45	संलग्न है	
23	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र।	46-47		
24	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	48		
25	राष्ट्रीय पार्को/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	49-52	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग राष्ट्रीय पार्को/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
26	प्रभावित ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	53	संलग्न है	
27	लागत लाभ विशलेषण (5 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग 5 हे0 से कम है।
28	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र	54-58	संलग्न है	
29	परियोजना के विभिन्न घटकों का गदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	-	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
30	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले–आउट प्लान।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य भवन निर्माण सम्बन्धित नहीं है।
31	परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक की आख्या।	59-61	संलग्न है	

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 30 / 1973 / 09

जनपद रूद्रप्रयाग में त्रियुगीनारायण–तोषी मोटरमार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

मार्च 2009

जनपद रूद्रप्रयाग में त्रियुगीनारायण–तोषी मोटरमार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ के अन्तर्गत 5.5 कि0मी0 लम्बाई में त्रियुगीनारायण–तोषी मोटरमार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 21.1.2009 को सम्बंधित सहायक अभियन्ता श्री हीरा सिंह नेगी एवं कनिष्ठ अभियन्ता श्री रविन्द्र कुमार के साथ निरीक्षण किया गया।

2. राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण–तोषी मोटरमार्ग अलग–अलग दो स्वीकृतियों में कुल 7.00 कि0मी0 (1.00+6.00 कि.मी.) लम्बाई में निर्माण कार्य स्वीकृत है। मार्ग निर्माण हेतु खण्ड द्वारा दो समरेखन बनाये गये हैं। समरेखन संख्या दो पर स्थानीय ग्रामवासियों की असहमति एवं अन्य तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये निर्माण खण्ड ऊखीमठ द्वारा समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है। समरेखन एक के अनुसार मार्ग की वास्तविक लम्बाई 5.5 कि.मी. आती है। प्रस्तावित समरेखन में निर्मित 0.900 कि.मी. हल्का वाहन मार्ग के अंतिम बिन्दु से आरम्भ होता है तथा 5.5 कि.मी लम्बाई में तोषी पहुंचकर समाप्त होता है। इस समरेखन में कोई हेयर पिन बैण्ड नहीं है। अवगत कराया गया कि समरेखन की 5.00 कि.मी. लम्बाई आरक्षित वनभूमि से तथा शेष 0.5 कि.मी. लम्बाई नापभूमि से गुजरती है। कि.मी. 2 में समरेखन सोनगंगा नदी को पार करता है, जिस पर सेतु निर्माण की आवश्यकता होगी। समरेखन क्षेत्र में नीस व शिस्ट चट्टानें हैं तथा चट्टानी भाग में पहाड़ी ढलान तीव्र है। स्थल निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्टया कोई अस्थिरता दृष्टिगोचर नहीं हुई।

3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू–आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे है, जिन्हे प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौडाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहॉ रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहाँ इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जाये।

(ख) सेतु का निर्माण उपयुक्त स्थल पर भूगर्भीय राय के आधार पर कराया जाये।

(ग) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।

(घ) समरेखन में तीव्र चट्टानी ढलान वाले भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

(ड.) जहाँ मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, आवश्यक होने पर उस भाग में मार्ग कटान के साथ–साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।

(च) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।

(छ) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानको एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नवनिर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दुः–

(i) मार्ग कटान के पश्चात हिल साईड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाडी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाडी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती हैं।

(ii) तीव्र चट्टानी ढलान में blasting किये जाने पर चट्टान के ज्वाइन्ट्स सक्रिय हो सकते है तथा नई दरारें भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके कारण विपरीत परिस्थितियों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। अतः जहां आवश्यक हो मार्ग कटान में नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाये।

5. त्रियुगीनारायण–तोषी मोटरमार्ग हेतु 5.5 कि0मी0 लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणीः–

(1) भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/ मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाये।

(2) मुख्य अभियन्ता स्तर'1 लो0 नि0 वि0, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गो के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पंत्राक 7272/8(1)याता0–उ0/ 05 दिनांक 16.11.2005 में दियें गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

H. Kumar 3.3.09
भूवैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य अभि. स्तर-I
लो०नि०वि० उत्तरांचल
देहरादून

P.C Attested

सहायक अभियन्ता
निमार्ण खण्ड लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)